तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम ज... की तामील में
13/01/25	वकु० अप०। TDR, बून्दी की रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2024/6318 दिनांक 18/12/24 शा० पत्रावली हो। बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दि० 17/01/25 को पेश हो।	
17/01/25	वकु० अप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा० मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:48:58 IST
Reason: SelfAttested

घनश्याम आत्मज रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम उमरथुना तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—वादी

—बनाम—

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।

—प्रतिवादी

वाद अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— वादी की ओर से एडवोकेट विनय सक्सैना।
प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार।

वाद—पत्र वादी द्वारा पेश किया गया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि खाता सं. 8 व खसरा सं 102, 182, 213, 279, 280 कुल खसरे 05 रकबा 5.7599 हे० वाके ग्राम उमरथूना पटवार हल्का खेरूणा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि मे कन्हैया लाल आत्मज रामदेवा जाति कुम्हार का हिस्सा 1/18 अंकित किया हुआ है। कन्हैया लाल का नाम वादी जब अवयस्क था तब पिता के देहान्त के पश्चात घनश्याम के स्थान पर कन्हैया लाल अंकित कर दिया गया। वास्तव में वादी का नाम घनश्याम हैं, कन्हैया लाल नाम गलत अंकित किया गया हैं। वादी का परिवार राशन कार्ड बना हुआ हैं। आधार कार्ड तथा निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र बना हुआ हैं तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा सहित सभी दस्तावेजात में घनश्याम आत्मज रामदेव जाति कुम्हार निवासी उमरथुना तहसील व जिला बून्दी अंकित हैं। यह वादी के घनश्याम होने का प्रमाण हैं। वादी को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह ग्राम उमरथूना मे विस्थित कृषि भूमि के अंकित कन्हैया लाल के स्थान पर घनश्याम का नाम घोषित करवाकर जमाबंदी में सही नाम का इन्द्राज करवाकर उसको दुरूस्त करवाये। जमाबंदी में वादी का नाम गलत अंकित होने से उसको बैंक, वितीय संस्था आदि से ऋण प्राप्त करने तथा भूमि को विकसित करने में बाधा पहुंचती हैं। वादी ने बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तो बैंक अधिकारियों ने नाम दुरूस्त करवाकर लाने को कहा, यही वाद उत्पति का कारण हैं। अधिकार घोषणा की कोई मियाद नही होती हैं, इस कारण वाद अंदर अवधि मध्य प्रस्तुत है। वाद पत्र में इत्यादि अंकित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम उमरथूना मे विस्थित कृषि भूमि में कन्हैया लाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार हिस्सा 1/18 के स्थान पर घनश्याम पुत्र रामदेव जाति कुम्हार हिस्सा 1/18 का नाम सही किये जाने की अधिकार घोषणा की डिक्री पारित की जाकर ग्राम उमरथूना की जमाबंदी में घनश्याम पुत्र रामदेव जाति कुम्हार अंकित किये जाने का आदेश व उचित न्याय सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

उक्तानुसार वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादी जरिये तहसीलदार, बून्दी से वाद पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक रा०का०/2024/6318 दिनांक 18.12.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम उमरथुना के खाता संख्या 191, खसरा संख्या 548/279 रकबा 0.4614 पर कन्हैयालाल पिता रामदेवा हिस्सा 2/3 कौम कुम्हार खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। मौका पर्चा एवं प्रस्तुत दस्तावेजों में नाम घनश्याम पिता रामदेव कुम्हार

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:48:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रजापति) तथा आधार कार्ड में कन्हैयालाल का नाम घनश्याम प्रजापति उर्फ कन्हैयालाल लिखा हैं। अतः मौका रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेज ग्राम पंचायत पत्र के कन्हैयालाल के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ घनश्याम शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में सहवन से घर का नाम कन्हैयालाल अंकित कर दिया हैं जबकि वादी का दस्तावेजी नाम घनश्याम हैं। राजस्व रेकार्ड में कन्हैयालाल अंकित होने से वादी को अपने काश्तकारी कार्य में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिये श्रीमान् से निवेदन हैं कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम घनश्याम अंकित करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न ग्राम उमरथुना के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी अनुसार खाता संख्या 191 खसरा संख्या 548/279 रकबा 0.4614 हे0 में वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र रामदेवा हिस्सा 2/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार अंकित हैं। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि दौराने वाद वाद विषयक आराजी का बंटवारा हो चुका हैं तथा वादी के भूमि पृथक से खाते दर्ज हो चुकी हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी कन्हैयालाल व घनश्याम वादी के ही नाम हैं। इसलिये वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना एवं वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में कन्हैयालाल के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ घनश्याम किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम उमरथुना के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी अनुसार खाता संख्या 191 खसरा संख्या 548/279 रकबा 0.4614 हे0 में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी ''कन्हैयालाल पुत्र रामदेवा'' के स्थान पर ''कन्हैयालाल उर्फ घनश्याम पुत्र रामदेवा'' अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार तहसीलदार, बून्दी को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:48:58 IST
Reason: SelfAttested